NORTH CENTRAL RAILWAY

Headquarters Office,
Prayagraj.

No.797-E/Gaz/Gr. 'B' Sele./Comml./2021-23 *Dated: 03 .03.2021.*

Chief Commercial Manager
Chief Operating Manager
CCM/PS&CTG, CCM/FM, CPTM, CTPM, CFTM, CSO
GM/CORE, AGM, SDGM, PFA, CAO/Const. CWMs: JHS & STLI, DRMs: PRYJ, AGC & JHS, Sr. DCMs: PRYJ, AGC & JHS, Sr. DPOs: PRYJ, AGC & JHS Sr. DSOs: PRYJ, JHS & AGC, Sr. EDPMs: PRYJ, JHS & AGC, Dy.CTM/CNB, Dy. CVOs, Sr. Statistical Officer, Dy.CPOs: HQ, Const., Gaz & JHS W/S, Sr. Low Officer, SPOs: IR, JHS W/S & STLI W/S., Principals: ETC/CNB, CETA, STC/JHS & IRTMTC,

Sub:- Selection for promotion from Group 'C' to Group 'B' to the post of ACM against 70% quota vacancies for formation of 'Provisional Panel' for the assessment year 2021-23 in Commercial Department.

****

In compliance of Railway Board's letter No. E(GP)2018/2/31 dated 19.03.2019, 12.01.2021 & 21.01.2021, it has been decided to hold a selection for forming 'Provisional Panel' of Commercial Department for the assessment year 2021-23 against 70% promotee quota vacancies.

The break-up of vacancies against 70% promotee quota and 30% LDCE quota selection is as under:-

	UR	SC	ST	Total
Against 70%	01	00	00	01
Against 30%	00	01	00	01

1. **ELIGIBILITY**

In terms of Board's letter No. **E(GP)2005/2/42, RBE No. 161/2005 dated 21.9.2005** the date of commencement of the vacancy period should be taken as the cut-off date for determining the eligibility of candidates for appearing in the selection for promotion from Gr. 'C' to Gr. 'B' post against the vacancies to be filled in the said period. As such the cut-off date for reckoning eligibility of candidates for appearing in selection for promotion to Gr. 'B' post of ACM against 70% quota selection for the assessment period 2021 to 2023 will be ***01.01.2021.***

The name of eligible Group 'C' employees of Commercial Department in seniority order (provisional) containing **15 (Fifteen)** names are appearing in ANNEXURE 'A' enclosed herewith. It is not necessary that all the employees appearing in ANNEXURE 'A' from whom Willingness/ Unwillingness and twice failed position has been sought will be eligible to be called in the selection. It will totally depend on their position in the integrated seniority list because employees will be called in the selection as per the sliding scale keeping in view the vacancies available. The final eligible list will be issued keeping in view the willingness/unwillingness and twice failed position given by the employees.

2. **WILLINGNESS/UNWILLINGNESS TO APPEAR IN WRITTEN TEST**

The contents of this notification may be got noted from the employees concerned enlisted in Annexure 'A' to indicate their willingness or unwillingness to appear in the written test on the proforma enclosed as **ANNEXURE 'B'** so as to reach this office **latest by 26.03.2021** through Personnel Branch of the office concerned in a bunch. It is the responsibility of the employee concerned to give his/her willingness/ unwillingness to take part in the written test and failure to do so within the time period allowed will be treated as unwillingness on the part of the employee for appearing in the selection. Such employees who neither appear for the written examination nor indicate unwillingness will be treated as having availed an opportunity **in terms of instructions as contained in Railway Board's letter No. E(GP)87/2/72 dated 11/01/1988.**

The final list will be issued keeping in view willingness/unwillingness and twice failed position given by the employees within the target date fixed for submission of willingness/unwillingness. If willingness/unwillingness is not received by **26.03.2021**, it will be assumed that the employee is unwilling to appear in the selection and final list will be issued combining the willingness/unwillingness of the employees of Annexure 'B'.

3. **SYLLABUS**

In terms of provision contained in para 204.2, Section 'A' Chapter II, of IREM Vol-I, no syllabus has been prescribed for 70% selection in Commercial Department. However, in terms of instructions contained in para 2 of Railway Board's letter No. E(GP)2018/2/31 dated 12.01.2021, Syllabus prepared by Railways will be used for 70% selection.

4. **TRAINING**

As there is no vacancy is reserved for SC/ST candidates in this 70% LDCE selection, hence, pre-selection coaching/training to SC/ST candidates is not required in terms of instructions contained in para 2(ii) of Railway Board's letter No.E(GP)2010/2/39 dated 28.08.2019, RBE No.142/2019.

5. **SCHEME OF EXAMINATION**

In terms of Railway Board's letter No. **E(GP)2018/2/31 dated 19.03.2019 (RBE No. 53/2019)**, the written examination shall comprise of one Paper which shall have 100% Objective type Multiple choice Questions only. The paper will be of 100 marks and the distribution will be as under:-

a) Technical Subject including Official language policy : 70 marks.
b) Establishment and Financial Rules : 30 marks
c) Qualifying marks : 60.

The candidates who qualify in the written test will be subjected to medical examination and only those candidates who are found medically fit in the prescribed category will be eligible to appear for the viva-voce test.

6. WRITTEN AND V.IVA-VOCE TEST

The selection will comprise of Written Test followed by Viva-Voce test. Only those who qualify in the Written Test and pass the prescribed standard of medical examination **as detailed in Railway Board's letters No. E(GP)80/2/8 dated 31/10/91, letter No. 99/H/5/3 dated 21.05.1999, & 18.12.2000** will be called for the Viva-Voce test. In this regard provisions laid down in paras 529 and 530 read with para 503 of IRMM/Volume-I, 3rd Edition 2000, are relevant.

The staff who indicate willingness for appearing in the selection may be spared to appear in the written test on the scheduled date of written examination. No candidate may be withheld for appearing in the selection.

7. SUPPLEMENTARY WRITTEN TEST

If required, a supplementary written test will be conducted subject to the following conditions and extant rule in this regard:-

(a) Only the employees who are detained on administrative account from appearing in the main written test will be allowed to appear in the supplementary written test after Personnel Officer in-charge gives categorical reason with regard to employees failure to appear in the main examination.

(b) The employees who are under sick during examination or otherwise and are continuing so since the date well before examination date will only be allowed to take supplementary written test after MS/DMO's Railway Certificate to this effect that they were not fit to appear in the said written test, countersigned by the controlling officer and duly forwarded by the Personnel Officer in-charge.

If any employee is issued G-92 on his request due to sickness, it may please be ensured that in red ink it should be clearly mentioned in G-92 that the employees concerned has to appear in the Written Examination for the post of ACM on specific date.

(c) Any reason, over which employees have no control, will only be allowed to take supplementary written test on submission of supporting documents, countersigned by the controlling officer and duly forwarded by the Personnel Officer in-charge with categorical reason in regard to employees failure to appear in the main examination.

(d) Employees who are absent for main written test **will not be allowed to appear** in supplementary written test except the circumstances as mentioned at para (a), (b) & (c) above.

8. In terms of Railway Board's letter No. E(GP)2018/2/31 dated 19.03.2019 (RBE No. 53/2019) following points needs attention to the candidates:-

(a) To ensure the authenticity of the answers to Multiple Choice Questions, no corrections of any type (viz. Cutting, overwriting, scoring off a ticked answer & ticking another answer, erasing, modifying the answer in any way) will be permitted zero marks will be awarded in such cases of corrections.

(b) There shall be negative marking for incorrect answers. One-third of the marks allotted for each question will be deducted for every wrong answer.

(c) All Objective type questions should carry equal marks.

(d) Every question should have four options numbered as A, B, C, D (only Capital letters) and answers to such questions by the candidates should invariably be given in Capital Letters.

If any employee of HQ/Divisions/Workshops/Units is on deputation / outside cadre or working against ex-cadre posts whose lien is maintained by this Railway should be informed about the selection provided they fulfil the conditions through their respective offices, where they are working at present, without fail. It should also be intimated to this office by the Personnel Department of Division/Workshop/Unit concerned, Dy. CPO/HQ, SPO/HQ in HQ office that the employees who are out of the cadre have been informed about the selection.

Sr. DPOs, DPOs, SPOs, APOs & controlling officers of the employees enlisted at Annexure- 'A' may personally ensure displaying of the notification in the prominent Notice Boards of the respective offices of HQ/Divisions/Workshops/Units.

The willing and eligible employees are required to bring their own ball point pen (blue/black). This office will supply only answer sheet. Mobile and calculator are strictly prohibited in examination hall.

If any employee found ineligible at any stage, his/her candidature will be cancelled.

The time line for conducting the selection against 70% quota vacancies is as under:-

Last date of Submission of willingness/ unwillingness by the applicant in their respective office	Submission of willingness/ unwillingness at concerned Personnel Branch	Submission of willingness/ unwillingness in HQrs office	Issue of final eligibility list	Date of written test
15.03.2021	19.03.2021	26.03.21	09.04.21	07.05.21

If any discrepancies found in Hindi version, English version, will prevail.

Copy of this notification is also available at www.ncr.indianrailways.gov.in (About us → Department → Personnel → NCR Gazetted Section). Receipt of this notification may please be acknowledged.

DA: As above.

03.3.2021
(S. K. Singh)
SPO/Gaz
***for* General Manager (P)**

Copy forwarded for kind information to:-

1. Secy. to GM
2. Secy., Estt. (GP), Railway Board, New Delhi
3. PS-I to PCCM.
4. PCPO, CPO/Admn, PCMD
5. CMSs: PRYJ, AGC, JHS & CNB
6. CPRO

अनुलग्नक 'क'

ANNEXURE- 'A'

List in order of seniority (Provisional) of 15 eligible Group 'C' employees of Commercial Department for selection to the post of ACM against 70% quota for the assessment year 2021-23.

SN	Deptt.	Name (S/Shri)	Father's Name (S/Shri)	Catg.	Design	Divn/ WS	Station
1	Comml	K.K.Sharma	B.D.Sharma	UR	CTI	AGC	AGC
2	Comml	K.B.Kala	C.N.Kala	UR	CIT	PRYJ	PRYJ
3	Law	Ashok Kumar	Jagdish Prasad	UR	CLA	HQ	HQ
4	Law	P.C.Tripathi			CLA	HQ	PRYJ
5	Law	Anil Kumar Bhatnagar	D.S.Bhatnagar	UR	CLA	HQ	PRYJ
6	Law	Pranay Kr.Srivastava	R.N.Srivastava	UR	CLA	HQ	HQ
7	Comml	Abdul Aziz	Abdul Khalik	UR	CTI	JHS	JHS
8	Comml	Subodh Khandekar	B.B.K.Khadekar	UR	CTI	JHS	JHS
9	Comml	Rajeev Gupta	M.R.Gupta	UR	DCI	JHS	JHS
10	Law	N.K.Rajak		SC	CLA	HQ	JHS
11	Comml	Anupam Mishra		UR	DCI	AGC	AGC
12	Comml	Haricharan Lal Meena	Ghamandi Lal Meena	ST	CCI	AGC	AGC
13	Law	S.N.Srivastava	R.K.Srivastava	UR	CLA	HQ	HQ
14	Comml	Anik Kumar Gupta	P.N.Gupta	UR	CMI	JHS	NDLS
15	Comml	Anoop Tandon	R.M.Lyer	UR	CMI	JHS	JHS

****

अनुलग्नक 'ख'

ANNEXURE 'B'

DECLARATION TO APPEAR IN SELECTION OF GROUP 'B' (ACM) (70% PROMOTEE QUOTA)

1. I ____________________________________ (*Name of employee*) S/O Shri ______________________________ appearing at Serial No. ______ in Annexure 'A' declare as under:-
2. I am ________________ (*WILLING/UNWILLING*) to appear in the written test for selection to the post of ACM against 70% Promotee quota notified vide notification No. 797-E/Gaz/Gr. 'B' Sele./Comml./2021-23 dated 03.03.2021.
3. Please indicate your community in the box: *SC / ST / UR* [ ]
4. I had earlier appeared in Written Examination of ACM Group 'B' against 70% Promotee Quota for which details are as under:

SN	Date of Written Examination Held	Pass	Fail
1			
2			
3			

5. I am aware that giving willingness is does not entitle me to be compulsorily called in the Written Test, as it totally depends upon my position in the final inter-se-seniority after finalisation of zone of consideration in terms of Para 1 of notification No. 797-E/Gaz/Gr. 'B' Sele./Comml./2021-23 dated 03.03.2021.
6. I hereby declare that all the information given above are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information given herein, if found false or incorrect or concealed, my candidature will liable to be terminated and D&AR action can be taken against me for this.

Affix recent passport size photograph of the employee

(Signature of the employee with date)

Name:________________________

Designation:____________________

Station / Division: ________________

Mobile No.:____________________

e-mail ID:_____________________

****

File No. ________________ Dated : __________

Information furnished in column No. 1 & 3 by the employee has been verified & found correct. Forwarded to Dy. CPO/Gaz/NCR/HQ/ALD for necessary action.

Signature of Controlling Officer
(With Stamp)

उत्तर मध्य रेलवे

प्रधान कार्यालय
प्रयागराज

संख्या: 797 ई/राज./ग्रुप 'बी' चयन/वाणिज्य/2021-23

दिनांक:23.03.2021

मुख्य वाणिज्य प्रबंधक, मुख्य परिचालन प्रबंधक,
मुख्य वाणिज्य प्रबंधक/खानपान एवं यात्री सेवा, मुख्य वाणिज्य प्रबंधक/मालभाड़ा विपणन.,
मुख्य यात्री यातायात प्रबंधक, मुख्य परिवहन योजना प्रबंधक, मुख्य मालभाड़ा यातायात प्रबंधक, प्रमुख मुख्य संरक्षा अधिकारी, महाप्रबंधक/कोर, ..वरिष्ठ उपमहाप्रबंधक, प्रधान वित्त सलाहकार, सी.ए.ओ./सी., सी.डब्लू.एम./झॉसी एवं सिथौली कारखाना, डी.आर.एम./प्रयागराज, आगरा एवं झॉसी, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी, सीनियर ई.डी.पी.एम.: प्रयागराज, आगरा एवं झॉसी, उप मुख्य कार्मिक अधिकारी– मुख्यालय, निर्माण एवं राजपत्रित, उप मुख्य कार्मिक अधिकारी/झॉसी कारखाना, वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/आईआर, उप मुख्य सतर्कता अधिकारी, उप मुख्य यातायात प्रबंधक/कानपुर, वरिष्ठ स्टैस्टिकल अधिकारी/उमरे, वरि. विधि अधिकारी, वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी: झॉसी एवं सिथौली कारखाना, प्रधानाचार्य: ईटीसी/कानपुर, सीटा/कानपुर, एस.टी.सी./झॉसी एवं आईआरटीएमटीसी,

विषय :वाणिज्य विभाग में 70% कौटा रिक्तियों के अंतर्गत ग्रुप सी से ग्रुप बी में सहायक **वाणिज्य प्रबंधक** के पद पर पदोन्नति हेतु वर्ष 2021–23 के लिए अनंतिम नामिका (प्रोविजनल पैनल) तैयार करने हेतु चयन ।

****

रेलवे बोर्ड के पत्र सं.–E(GP)2018/2/31 dated 19.03.2019, 12.01.2021 & 21.01.2021 के अनुपालन में सहायक वाणिज्य प्रबंधक का प्रोविजनल पैनल तैयार करने हेतु 70% पदोन्नति कोटा के विरुद्ध, वाणिज्य विभाग में निर्धारण अवधि वर्ष 2021–23 तक चयन परीक्षा आयोजित करने का विनिश्चय किया गया है।

70% पदोन्नति कोटा एवं 30% सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के चयन हेतु रिक्तीयों का विवरण निम्नवत् है :

	अनारक्षित	अनु.जाति	अनु.जनजाति	कुल
70% कोटा के विरुद्ध	01	00	00	01
30% कोटा के विरुद्ध	00	01	00	01

1. **पात्रता :**

बोर्ड के दिनांक 21.09.2005 के पत्र सं.ई (जीपी) 2005/2/42–आरबीई सं.161/2005 के अनुसार रिक्तियों की अवधि प्रारंभ होने की तारीख को ही उक्त अवधि में भरी जाने वाली रिक्तियों के विरुद्ध ग्रुप 'सी' से ग्रुप 'बी' में पदोन्नति हेतु आयोजित किए जाने वाले चयन में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थियों की पात्रता के निर्धारण की कट–आफ तारीख माना जाना चाहिए। अतः सहायक वाणिज्य प्रबंधक के ग्रुप 'बी' में पदोन्नति हेतु 70% कोटा के लिए चयन परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता निर्धारण अवधि 2021 से 2023 में **01.01.2021** होगी।

वाणिज्य विभाग के समूह 'ग' के 15 (पन्द्रह) कर्मचारियों के नाम वरिष्ठताक्रम (अनंतिम) में मुख्य सूची में **अनुलग्नक 'क'** के रूप में संलग्न है। यह कोई आवश्यक नहीं है कि अनुलग्नक 'क' में उल्लिखित वे सभी अभ्यर्थियों जिनसे सहमति/असहमति, दो बार असफल (अनुत्तीर्ण) का विवरण मांगा गया है, चयन परीक्षा में बुलाए जाने के लिए पात्र ही होंगे। यह पूर्णतः वरीयता सूची में उनकी स्थिति पर निर्भर करेगी और रिक्तियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों को क्रमानुसार वरीयता सूची में से बुलाया जाएगा। कर्मचारियों द्वारा दी गई उनकी सहमति/असहमति तथा दो बार अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए रिक्तियों की उपलब्धता के अनुसार अंतिम (फाइनल) पात्रता सूची जारी की जाएगी।

2. **लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए सहमति/असहमति :**

इस अधिसूचना को अनुलग्नक 'क' में उल्लिखित संबंधित कर्मचारियों को नोट कराया जाए और लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए उनकी सहमति अथवा असहमति **अनुलग्नक 'ख'** के रूप में संलग्न प्रपत्र पर प्राप्त कर संबंधित विभाग द्वारा समेकित रूप में कार्मिक शाखा के माध्यम से इस कार्यालय को **दिनांक 26.03.2021** तक भेज दी जाए। लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अपनी सहमति/असहमति प्रदान करना संबंधित कर्मचारियों की जिम्मेदारी है। निर्धारित समय–सीमा के अंदर ऐसा न कर पाने की स्थिति में इसे कर्मचारियों की ओर से चयन परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए उनकी असहमति मानी जाएगी। रेलवे बोर्ड का दिनांक 11.01.1988 पत्र संख्या ई(जी पी)87/2/72 में उल्लिखित शर्तो के अनुसार ऐसे कर्मचारी जिन्होंने न तो अपनी असहमति से अवगत कराया और न परीक्षा में सम्मिलित हुए उनके बारे में यह माना जाएगा कि उन्होंने इस अवसर का लाभ ले लिया है।

कर्मचारियों द्वारा निर्धारित तिथि तक दी गई सहमति/असहमति तथा दो बार अनुत्तीर्ण हुए कर्मचारियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए अंतिम (फाइनल) पात्रता सूची जारी की जाएगी। यदि कर्मचारियों की सहमति/असहमति **दिनांक 26.03.2021** तक प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि कर्मचारी लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए सहमति/असहमति के आधार पर जारी की जायेगी ।

3. **पाठ्यक्रम:**

भारतीय रेल स्थापना नियमावली (आई आर ई एम) भाग–1 के पैरा 204.2, सेक्शन 'क' के अध्याय ।। के अनुसार वाणिज्य विभाग में 70: कोटा हेतु चयन परीक्षा के लिए कोई पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं किया गया है। रेलवे बोर्ड के पत्र सं0– E(GP)2018/2/31 dated 12.01.2021 के पैरा–2 के अनुसार 70% कोटा हेतु चयन परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम रेलवे द्वारा तैयार कर प्रयोग किया जायेगा।

4. **प्रशिक्षण:**

रेलवे बोर्ड के पत्र सं. ई(जीपी)2010/2/39 दिनांक 28.08.2019, आइबीई सं.–142/2019 के पैरा 2(।।) में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार अनु.जाति/अनु.जन जाति की रिक्तियॉं न होने के कारण चयन पूर्व कोचिंग/प्रशिक्षण दिया जाना अपेक्षित नहीं हैं।

5. **परीक्षा कार्यक्रम :**

बोर्ड के दिनांक 19.03.2019 के पत्र सं.ई (जीपी) 2018/2/31–आरबीई सं.53/2019 के अनुसार लिखित परीक्षा में एक पेपर होगा, जिसमें 100 प्रतिशत केवल वस्तुनिष्ठ किस्म के बहुविकल्प प्रश्न ही होंगे। यह पेपर 100 अंक का होगा और अंकों का वितरण निम्नानुसार होगा:

क	राजभाषा नीति सहित तकनीकी विषय	70 अंक
ख	स्थापना और वित्तीय नियम	30 अंक
ग	अर्हता अंक	60

जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, उन्हें चिकित्सा परीक्षण कराना होगा और केवल वे ही अभ्यर्थी जो चिकित्सा के निर्धारित मानक में मेडिकली फिट पाए जाएंगे, साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के पात्र होंगे।

6. **लिखित एवं साक्षात्कार :**

उक्त पद पर चयन के तहत लिखित परीक्षा एवं तत्पश्चात साक्षात्कार परीक्षा होगी। रेलवे बोर्ड के दिनांक 31.10.1991 के पत्र संख्या ई(जी पी) 80/2/8, दिनांक 21.05.1999 एवं 18.12.2000 के पत्र संख्या 99/एच/5/3 के अनुसार लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले एवं मेडिकल परीक्षण का निर्धारित मानक पास करने वाले अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। इस संबंध में भारतीय रेल चिकित्सा मैनुअल भाग–1, तृतीय संस्करण 2000 के पैरा 503 के साथ पठित पैरा 529 एवं 530 के प्रावधान लागू होंगे।

जिस कर्मचारी ने चयन में सम्मिलित होने के लिए अपनी सहमति दी है उन्हें लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कार्यमुक्त किया जाए तथा इसके तारीख की अलग से सूचना दी जाए। किसी भी अभ्यर्थी को चयन में सम्मिलित होने से रोका न जाए। लिखित परीक्षा की तिथि बाद में सूचित की जाएगी। इस अधिसूचना को एलर्ट सूचना के रूप में माना जाए एवं कर्मचारियों को यह सलाह दी जाती है कि वे लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए तैयार रहें ।

7. **पूरक लिखित परीक्षा :**

यदि आवश्यक हो, तो इस संबंध में वर्तमान नियमों और निम्नलिखित शर्तों के अधीन पूरक लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी :–

(क) इस पूरक परीक्षा में केवल उन्हीं कर्मचारियों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी, जिन्हें प्रशासनिक कारणों से मुख्य लिखित परीक्षा में शामिल होने से रोका गया था और जिसके लिए प्रभारी कार्मिक अधिकारी द्वारा संबंधित कर्मचारी के मुख्य परीक्षा में शामिल न हो पाने के संबंध में स्पष्ट कारण का उल्लेख किया गया हो।

(ख) ऐसे कर्मचारी जो परीक्षा के दौरान सिक में हो अथवा परीक्षा की तारीख के ठीक पहले वाली तारीख से सिक में हों, तो केवल उन्हें ही चिकित्सा अधीक्षक/मंडल चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी तथा नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित और प्रभारी कार्मिक अधिकारी द्वारा विधिवत अग्रेषित इस आशय के रेलवे प्रमाण पत्र कि वे उपर्युक्त परीक्षा में शामिल होने के लिए फिट नहीं थे, प्रस्तुत करने पर पूरक परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।

यदि किसी कर्मचारी को उसकी बीमारी के कारण जी–92 जारी किया जाता है तो कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि जी–92 फार्म पर लाल स्याही में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया हो कि संबंधित कर्मचारी को अमुक तारीख को आयोजित सहायक वाणिज्य प्रबंधक के पद के लिए होने वाली लिखित परीक्षा में सम्मिलित होना है।

(ग) यदि कर्मचारी किसी ऐसे कारण से, जिस पर उसका कोई नियंत्रण न रहा हो, मुख्य परीक्षा में शामिल न हो सका हो, तो उसके प्रमाण में नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित तथा प्रभारी कार्मिक अधिकारी द्वारा विधिवत अग्रेषित ऐसे संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के बाद ही उसे पूरक लिखित परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी, जिनमें कर्मचारी के मुख्य परीक्षा में शामिल न हो पाने के स्पष्ट कारण का उल्लेख किया गया हो।

(घ) उपर्युक्त पैरा (क), (ख) एवं (ग) में उल्लिखित परिस्थितियों को छोड़कर अन्य कारणों से मुख्य लिखित परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों को पूरक लिखित परीक्षा में **शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।**

8. रेलवे बोर्ड के दिनांक 19.03.2019 के पत्र सं.ई (जीपी) 2018/2/31–आरबीई सं.53/2019 के अनुसार अभ्यर्थीयों निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दें:–

क. बहुविकल्प प्रश्नों के लिए उत्तर की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए, किसी प्रकार के सुधार (अर्थात कटिंग करना, अधिलेखन, टिक किए गए उत्तर को मिटाना और दूसरे उत्तर को टिक करना, मिटाना, उत्तर में किसी भी प्रकार का आशोधन करना) की अनुमति नहीं होगी। सुधार के ऐसे मामलों में शून्य अंक दिए जाएंगे ।

ख. गलत उत्तरों के लिए नेगटिव मार्किंग की जाएगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए जाने वाला एक–तिहाई अंक काट दिया जाएगा ।

ग. सभी वस्तुनिष्ठ किस्म के प्रश्नों के लिए समान अंक दिए जाएंगे।

घ. सभी प्रश्नों के लिए चार विकल्प ए, बी, सी, डी. (केवल बडे अक्षरों में) होने चाहिए और उम्मीदवार द्वारा ऐसे प्रश्नों के उत्तर निरपवाद रुप से बडे अक्षरों में दिए जाएं।

यदि मुख्यालय/मंडल/कारखानों/इकाईयों का कोई कर्मचारी जो इस संबंध में सभी शर्तें पूरी करता हो, प्रतिनियुक्ति पर गया हो/संवर्ग के बाहर कार्यरत हो या संवर्ग बाह्य (एक्स कैडर) पद पर कार्यरत हो और उसका लियन इस रेल में हो तो संबंधित कार्यालय द्वारा उसे चयन परीक्षा के संबंध में अवश्य सूचित किया जाए। संबंधित मंडल/कारखाना/इकाईयों के कार्मिक विभाग तथा मुख्यालय के उप मुख्य कार्मिक अधिकारी/मुख्यालय, वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/मुख्यालय द्वारा इस कार्यालय को इस आशय की सूचना दी जानी चाहिए कि जो कर्मचारी संवर्ग के बाहर हैं, उन्हें चयन के संबंध में सूचित कर दिया गया है।

वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, मंडल कार्मिक अधिकारी, वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी तथा सहायक कार्मिक अधिकारी एवं संलग्नक 'क' के कर्मचारियों के नियंत्रक अधिकारी व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करें कि यह अधिसूचना मुख्यालय/मंडलों/कारखानों/इकाईयों के संबंधित कार्यालयों के प्रमुख नोटिस बोर्डो पर प्रदर्शित की जाए।

अपनी सहमति देने वाले तथा पात्र अभ्यर्थियों को बॉल प्वाइंट पेन (नीला/काला) स्वयं लाना होगा। इस कार्यालय द्वारा केवल उत्तर पत्रक ही दी जाएगी। परीक्षा हाल में मोबाइल और कैलकुलेटर लाना वर्जित है।

यदि किसी कर्मचारी/अभ्यर्थी की पात्रता चयन के किसी भी स्तर पर गलत पाई जाती है, तो वह निरस्त की जा सकती है।

इस 70% कोटा चयन परीक्षा हेतु टाइमलाइन निम्नवत् हैः–

संबंधित कार्यालय में सहमति/असहमति भेजने की तिथि	संबंधित कार्मिक शाखा में सहमति/असहमति भेजने की तिथि	प्रधान कार्यालय को सहमति/असहमति भेजने की तिथि	पात्रता की फाइनल लिस्ट जारी होने की तिथि	लिखित परीक्षा की तिथि
15.03.2021	19.03.2021	26.03.2021	09.04.2021	07.05.2021

यदि विज्ञापन में कोई विरोधाभास होता है, तो विज्ञापन का अंग्रेजी वर्जन मान्य होगा।

यह विज्ञप्ति www.ncr.indianrailways.gov.in पर भी उपलब्ध रहेगी। (About us Department → Personnel → NCR Gaztted Section)

कृपया इस अधिसूचना की पावती दी जाए।

ह०/05.5.2021
(एस.के.सिंह)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/राज.
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि: सूचनार्थ निम्नोक्त को प्रेषित :

1- सचिव/महाप्रबंधक ।
2- सचिव/ स्थापना (जीपी), रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली ।
3- निजीसचिव-।, प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक।
4- प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, मुख्य कार्मिक अधिकारी/प्रशा., प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक।
5- चिकित्सा अधीक्षक/प्रयागराज, आगरा तथा कानपुर।
6- मुख्य जनसंपर्क अधिकारी।

26